न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 05/2017/अपील

सुशीला देवी पत्नि सुरेश कुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम रामसीसर, तहसील रामगढ़ शेखवाटी, जिला–सीकर (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार रामगढ़ शेखवाटी, जिला–सीकर (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री भगवानसिंह धायल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1507 बाबत ग्राम हर्ष तहसील व जिला सीकर द्वारा तहसीलदार सीकर दिनांकित 03.02.2017

निर्णय

दिनांकः 11 जून, 2024

1. अपीलांट **सुशीला देवी** की ओर से यह अपील वकील **श्री भगवानसिंह धायल** द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी के निर्णय दिनांक 27.02.2017 प्रकरण संख्या 34/2016 बउनवानी सरकार बनाम सुशीला अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) अपीलान्ट ग्राम रामसीसर, तहसील रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर की स्थायी निवासी है। जहां पर पुख्ता आवास बनाकर उक्त आवास में पति के नाम से विद्युत सम्बन्ध प्राप्त कर मय परिवार आवास निवास करती आ रही है। अपीलान्ट के आवास के लगते ही उत्तर–पूर्व में बंजड़ जोहड़ खसरा नम्बर 241/1 नया खसरा नम्बर 398 अवस्थित है, जो ग्राम की आबादी के उत्तर–पूर्व में सटकर अवस्थित है। उक्त बंजड़ जोहड़ में ही माध्यमिक विद्यायल बना हुआ

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी उक्त बंजड़ जोहड़ में ही बना है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गयी है।

(2) आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत ने खसरा नम्बर 241/1 में से भूमि की मांग करने पर जिलाधीश सीकर के पत्र क्रमांक 4344–63/राजस्व/90 दिनांक 22.10.1990 के द्वारा 0.51 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गयी है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 592 दिनांक 03.04.1991 आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम भरा गया है। उक्त आंवटन के वक्त ही ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आवंटित भूमि में से अपीलान्ट को पट्टा दिये जाने के आश्वासन पर अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर आवास बनाया गया था। राजस्व रिकार्ड में विधिवत तरमीम होने के उपरांत पट्टा दिये जाने की कार्यवाही करने के लिये अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत किये हैं।

(3) पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 398 में से 0.03 हैक्टेयर पर अपीलान्ट का अतिक्रमण किया जाना बताकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी के समक्ष पेश करने पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी करते हुये खसरा नम्बर 241/1 जिसके नया खसरा नम्बर 398 बजड़ जोहड़ में से 0.03 हैक्टेयर पर अवैध कब्जा किये जाने बाबत जारी किया। अपीलांट द्वारा दिनांक 29.11.2016 को उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया तथा धारा 10 सी.पी.सी. के तहत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 10 सी.पी.सी. के सम्बंध में कोई निर्णय पारित न करते हुए दिनांक 27.02.2017 को निर्णय पारित कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आबादी हेतु आवंटित भूमि की कोई पैमाईस नहीं करवायी जाकर बिना राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में दर्शित करवाये बिना ही अपीलांट की आवासीय भूमि को बंजड़ भूमि का हिस्सा मानकर उक्त पर अतिक्रमण किया जाना मानते हुये बेदखली आदेश पारित किये है। विवादित भूमि के सम्बंध में पूर्व से ही सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने तथा सिविल न्यायालय द्वारा कब्जा शुदा सीमित भूमि का अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट के पक्ष में जारी किया हुआ होने से धारा 10 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत किया है।

(4) अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 बउनवानी सरकार बनाम सुशीला में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2017 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. हमने वकील अपीलांट की बहस सुनी। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं।

4. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:–

(1) ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि पर अपीलांट मय परिवार आवास निवास कर रही है, परन्तु अपीलांट के पास अपने आवास से सम्बन्धित कोई दस्तावेज यथा पट्टा नहीं है। जिसको आधार मानकार तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी के द्वारा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलांट के आवास को अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किये गये हैं।

(2) बिना अधिकृत दस्तावेज यथा पट्टा के भूमि पर आवास निर्माण करने पर तहसीलदार द्वारा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत की गई बेदखली की कार्यवाही को हम विधिसम्मत मानते हैं।

(3) अपीलांट अपने वांछित अनुतोष के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत करने एवं चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2017 यथावत रखा जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक **11 जून, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर